बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मेघालय राज्य में धारा 371 लगने के कारण किसी राज्य (असम को छोड़कर) के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को छोड़कर किसी राज्य के जनता को मेघालय राज्य में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। मेघालय राज्य में लगभग कई राज्यों के सरकार द्वारा मेघालय राज्य सरकार के माध्यम से अपनी जमीन खरीदकर अपने राज्य के प्रवासित नागरिकों, अतिथियों के लिए एक भवन का निर्माण कराया गया है जिसमें विवाह भवन अतिथि गृह, बैठक कक्ष आदि की सुदृढ़ व्यवस्था है, जैसे मारवाड़ी भवन, गुरूद्वारा भवन, नेपाल भवन आदि संबंधित राज्यों द्वारा बनाया जा चुका है। लेकिन बिहार सरकार द्वारा मेघालय में रोजगार कर रहे हजारों परिवारों के सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है जिससे मेघालय में रोजगार हेतु प्रवासित हजारों बिहारी परिवार अपने आप के असहाय महसूस कर रहा है।

अत: मैं सदन में राज्य सरकार से मेघालय राज्य में एक बिहार भवन स्थापित करने हेतु एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- आदित्य नारायण पाण्डेय

स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-245/2018- 2487 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 22.11.2018

(नवल किशोर सिंह)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अधिकतर आपराधिक घटनाओं के पीछे जमीन या संपत्ति कारण होता है। पारिवारिक बंटवारे की रजिस्ट्री में टोकन शुल्क प्रभावी होने पर लोगों को आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करने में भी परेशानी नहीं होगी, बंटवारा आधिकारिक प्रक्रिया अपना कर हुआ तो विवाद भी कम होगा, यह बिहार की तरफ से देश के अन्य राज्यों के लिए एक नया मॉडल भी होगा। एमवीआर की आठ फीसदी स्टाम्प ड्यूटी सरकार को जमा करानी होती है। नई व्यवस्था होने पर एक मुश्त मात्र 100 या 500 रूपये देकर दोनों भागों की रजिस्ट्री पूरी हो सकेगी।

अत: मैं सरकार से सदन में उपरोक्त विषय पर एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- राधाचरण साह

स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-244/2018- 2486 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 22.11.2018

(नवल किशोर सिंह)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

रिहायशी इलाकों एवं बसावटों में पूर्व से ही लगे और अभी भी धड़ल्ले से लगाए जा रहे मोबाइल टावर, आम लोगों के लिए शारीरिक एवं मानसिक तौर पर खतरनाक एवं नुकसानदेह हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट एवं उसके अध्ययन से भी इसकी पुष्टि होती है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से कई प्रकार की घातक बीमारियों के चपेट में लोग आ जाते हैं खासकर माइग्रेशन, चर्मरोग, बहरापन, नपुंशकता, ब्रेन के अंदर के न्यूरो सेल को क्षति पहुंचाने वाली घातक बीमारियां मानव शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं।

अत: मैं इस संबंध में सरकार से मोबाइल टावर को रिहायशी इलाकों से हटाने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- प्रेमचन्द्र मिश्रा
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-246/2018- 2485 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 22.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिला के दानापुर स्थिति पश्चिमी बेली रोड के सगुना मोड के रूपसपुर नहर तक मुख्य सड़क के दोनों तरफ सर्विस लेन बनाया गया है। उक्त पथ के दोनों ओर काफी आबादी रहने के कारण वहां के आवासियों द्वारा सर्विस लेन के दोनों तरफ खाली भूमि को पार्क में विकसित करने हेतु एक सामूहिक आवेदन आयुक्त, पटना प्रमंडल को दिया था जिस पर आयुक्त, पटना प्रमंडल ने दिनांक- 9 जुलाई, 2016 को आवेदन में दर्शाये गये बिन्दुओं पर निरीक्षण किया तदोपरान्त उन्होंने नालों को विकसित करने के साथ पार्क बनाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, दानापुर को डी.पी.आर. बनाने हेतु आदेश दिया था लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।

अत: मैं पश्चिमी बेली रोड के सगुना मोड़ से रूपसपुर नहर तक सर्विस लेन के दोनों बगल खाली भूमि पर पार्क विकसित करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- प्रो. राम चन्द्र पूर्वे

स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-253/2018- 2484 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 22.11.2018

(नवल किशोर सिंह)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना नगर के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के सेक्टर-4 में भूतनाथ रोड के पूरब बचपन स्कूल के पास एक बड़ा भू-खंड वर्षों से पार्क के लिए चिन्हित है। भू-खंड के चारो तरफ ट्रैक बना हुआ है जो रख-रखाव के अभाव में अब टूट रहा है। आसपास के लोग काफी संख्या में सुबह ट्रैक पर टहलते हैं लेकिन उक्त भू-खंड को पार्क का स्वरूप देने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। खाली भू-खंड पर झाड़-झंखाड़, जल-जमाव और गंदगी का अम्बार है। इसका स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है।

अत: उक्त चिन्हित भू-खंड को पार्क के रूप में परिणत कर उसे सुसज्जित और सौंदर्यीकृत करने हेतु मैं सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- प्रो. रामवचन राय
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-264/2018- 2483 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 22.11.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

भागलपुर स्मार्टसिटी में बिल्डरों द्वारा अवैध रूप से भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

ज्ञात हो कि उक्त जिला के बिल्डरों द्वारा G+3 का नक्शा पास कराकर बिल्डिंग बॉयलॉज के नियम को ताक पर रखकर उसी नक्शा पर G+6 मंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा है। आवासीय भवन की जगह पर व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। यथा- सैंडिस कम्पाउण्ड के दक्षिण अवस्थित विशाल मेगामार्ट का निर्माण कराया गया तथा उक्त भवन में G+3 का नक्शा पास कराकर उक्त भवन में G+5 का निर्माण कराया गया है।

अत: भागलपुर जिला में पास नक्शा के अतिरिक्त बिल्डरों द्वारा अवैध भवन के निर्माण पर विधिसम्मत कार्रवाई करने तथा नक्शा के अतिरिक्त भवनों के निर्माण पर रोक लगाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- जावेद इकबाल इंसारी, स0वि0प0 एवं
ह0/- मनोज यादव, स0,वि0,प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-271/2018- 2522 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 26.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

26.11.2018

(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्